

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक ०७/०९/२०१८

संख्या- ३/एल-६-१-३६/२०१७ ७०६(३) /डा० कमलेश शर्मा, सीनियर रेजिडेन्ट, नेत्र रोग विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम ७४(बी०), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक-६१९० दिनांक २७.०४.१९७९ में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पायी जाती है तो उसकी सारी जबाबदेही स्वयं चिकित्सक की होगी।

२. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

/स्वा०, पटना, दिनांक : ०७.०९.२०१८

ज्ञापांक : ३/एल-६-१-३६/२०१७

७०६(३)

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं० ह०), बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि डा० कमलेश शर्मा का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/ डा० कमलेश शर्मा, सीनियर रेजिडेन्ट, नेत्र रोग विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत्त, सीनियर रेजिडेन्ट का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों पेंशन प्रपत्र सहित वांछित कागजात शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा-२,३,८,९ एवं १८ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी  
सचिव  
३१/९